मुकद्मा नम्बर	तारीख रजू	तारीख फैसला
90/03	31.10.2003	15.06.09

मीठया दत्तक पुत्र गुजरिया जाति मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी

——सायल——

बनाम

1.श्रीया पुत्र रणजीता जाति मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी
2.बृजलाल पुत्र श्रीया
3.लल्ला पुत्र श्रीया
4.गोपी पत्नि श्रीया
5.सहायक अभियन्ता ग्रामीण जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गंगापुरसिटी।
6.कनिष्ठ अभियन्ता ग्प्रमीण जयपुर विद्युत वितरण निगम गंगापुरसिटी।

——गैरसायलान——

<u>प्रार्थनापत्र बावत असीी निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थितः–</u> श्री जे0के0गर्ग एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा एडवोकेट, गैरसायल की ओर से

मुकद्मा नम्बर	तारीख रजू	तारीख फैसला
86/03	16.10.2003	15.06.09

श्रीया पुत्र रणजीता जाति मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी

——सायल——

बनाम

मीठया पुत्र गजरिया जाति मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी।

——गैरसायल—

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः– श्री प्रकाश चन्द शर्मा ,एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री जे0के0गर्ग एडवोकेट, गैरसासल की ओर से ।

<u>निर्णय</u>

दोनों प्रार्थना पत्रों में विवादित भूमि एवं पक्षकारान लगभग समान है । अतः दोनों प्रर्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा।

सायल मीठया ने मुकद्मा 90/03 इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 277 रकवा 3 एयर, 278 रकवा 3 एयर, 279 रकवा 63 एयर 280 रकवा 1.33 हेक्टर ग्राभ कोटडी तहसील गंगापुरसिटी में स्थित है जो साल की खातेदारी वक ब्जे की भूमि है उकत भूमि से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई तालुक नही है। साल ने भूमि ख्सार नमबर 279 मे उत्तर की तरफ दौले में कुँआ बना रखा है जिससे सायल अपने खेतो की पिलाई करता है और बाकी भूमि को सायल काश्त करता है। गैरसायल सरगना ाहै ओर वो नाजायज तरीके से सायल से उक्त भूमि को छीनना चाहते है जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नही है तथा सायल की उक्त चाह को स्वयं की बताकर नाजायज तरीके से स्वयं केनाम से बिजली का कनेक्शन लेना चाहते है और यह चाहते हें कि सायल अपनी इस चाह से अपने खेतों की पिपलाई करने से वंचित रह जावे। इस कारण से गेरसाल संख्या 1 लगायत ज ने गेरसायल सेख्या 5 व 6के यहॉ उक्त चाह को अपनी स्वयं की बतलाकर विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। सायल दिनांक 2.10.03 को उक्त कुॅए से खेतों की सिंचाइकरने गा तो गैरसायल संख्या 1 लगायत 4 ने सायल को पिलाइ नही करने दी ओर कहने लगे कि इस कुएमें हम अपने नाम से बिजली लगाकरतुम्ळे बेदखल यकरेंगे तथा तुम्हारे खेतों पर भी कब्जा करेंगे। गैरसायल अपने फेल से उक्त तब तक बाज नही आयेंगें जब तक कि उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही फरमा दिया जावेगा। अत प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि के कब्जे काश्त में सायल के साथ किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा

नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायल ने की तलबी की गयी। गैरसायल नम्बर 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर जबाव पेश किया है कि हाल ही तहसील गंगापुरसिटी का सेटलमेंट हुआ है, सेटिलमेट सेस पूव्र सं0 2030 से 2033 मेंखसरा नम्बर 1,48,50,94 राधाकिशन, हरलाल, रणजीता पिसरान पांच्या हिस्सा 3/4 व रामफूल पुत्र रत्तीराम हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी कोटडी के नाम थी।सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा नम्बर 94 रकवा 4 बीघा 7 विस्वा का हाल सेटलमेंट विभाग ने नया खसरा नम्बर 272 रकवा 0.46 हैक्टर, 273 रकवा 0.52 हैक्टर, 276 रकवा 0.03 हैक्टर कुल रकवा 1.01 हैक्टर बनाया है जो साविक रकवे से 0.06 हैक्टर कम है । भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जो शीट बनाई गई वह साविक शीट से मेल नही खातीहैं साविक शीट व हाल शीट का मिलान करने पर पूर्व का खसरा नमबर 94 रकव 4 बीधा 7 विस्वा को कम कर खरानम्बर 277, 278, रकवा 0.03 हैक्टर, 279 रकवा 0.03 हैक्टर कुल रकवा 0.06 हैक्टर सायल मीठया दत्तक पुत्र गुजरिया जाति मीना निवासी कोटडी के हिस्से में लगा दिया है । भू–प्रबन्ध विभाग कीयह कार्यवाही एवीनिशियों वोइड है, जिसका की भू –प्रबन्ध को अधिकार नही है व निरस्त किये जाने योग्य है । भू–प्रबन्ध के पूव्र गैरसायल श्रीयापुत्ररणजीता के हिस्सें मे आपसी सहमति से व म॓ पर बट अनुसार खसरा नम्बर 94 रकवा 4 बीघा 7 विस्वा आई हैं व श्रीया ही मोके पर काबिज है। गैरसायल श्रीया ने सहखातेदारों से 0.06 हैक्टर भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कम किये जाने व दुरूस्ती कराये जाने हेतु कहा तो सहखातेदार सुखपाल, सुखचन्द, फूलचन्द पिसरान राधाकिशन, चिरंजी पुत्र अमरचन्द , रामफूल पुत्र रत्तीराम से कहा तों उन्होने मना कर दिया व पूर्व में ही बट हो चका है व अपने अपने हिस्से पर कााबिज है, तुम्हारे हिस्से में आया साविक ख0न0 94 में से 0.06 हैक्टर भूमि कम हुई है तुम ही कार्यवाही करो । तो गेरससायल नम्बर 1 ने एक दावा दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी श्रीया बनाम मीठया वगे0 नम्बर 143/03 का अदालत हाजा में पेश कर दिया जो विचाराधीन है । खसरा नम्बर 278 रकवा 3 एयर में गैरसायल श्रीया ने पच्चीसों साल पूर्व से बाडा बनाकर अपने उपयोग, उपभोग में लेता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 276 रकवा 0.03 हैक्टर में गैरसायल श्रीया पुत्र रणजीता की पुख्ता कईया बनी हुई है जिसे सायल गलत तथ्यों के आधार पर अपनी बनना चाहता है। गेरसायल ने विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में दर0 भी पेश की थी जिस पर सायल ने काफी अडचने पैदा की, परन्तु मोके पर गैरसायल नम्बर 1 के खाते में पाई जाने पर विद्युत कनेक्शन भी विभाग ने कर दिया। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसासल नम्बर 5,6 ने जबाव पेश किया है कि श्रीया पुत्र रणजीता मीना को हाल खसरा नम्बर 276 रकवा 3 एयर में गैरमुमकिन कई में जिसमे श्रीया का हिस्सा 1/4 है, में फार्म श्रेणी में कनेक्शन दिया है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल श्रीया ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 86/03 मीठया के विरूद्ध पेश किया है।

मीठया ने अपने प्रार्थना के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये है।

1. नकल जमाबन्दी सं0 2056–2060,मीठया के खाते की।
2. नकल नक्शा ट्रेस हाल।
3. नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग।
4. नकल जमाबन्दी सं0 2026–2029 मीठया के खाते की।
5. नकल जमाबन्दी सं. 2026–2029 किरोडी लाल के खाते की।
6. नकल जमाबन्दी सं0 2026–2029 राधाकिशन वगेरा के खाते की ।
7. नकल जमबन्दी सं0 2053–2056 मीठया के खाते की ।

गैरसायल1 लगायत 4 ने अपने जबाव के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है:–

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

1. सेटलमेट विभाग नकल मिलान क्षेत्रफल
2. नकल जमाबन्दी सं0 2030–2033 राधाकिशन वगै के खाते की ।
3. नकल नक्शा ट्रेस साविक स0 2017।
4. नकल नक्शा ट्रेस हाल।
5. नकल जमाबन्दी सं0 2057–2060 सुखपाल वगैरा के खाते की ।
6. नकल जमाबन्दी सं0 2057–2060 मीठया के खाते की

गैरसायल 5,6 ने अपने जबाव के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये हैः–

1. नकल डिमाण्ड नोटिस।
2. नकल एस्टीमेट,
3. नकल आवेदन पत्र,
4. नकल जमाबन्दी स0 2065–2068।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक सायल मीठया ने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

विद्वान अभिभाषक गैरसायल श्रीया ने जबाव के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया है।

पत्रावली का अध्ययन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। अभिभाषकगण उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित जमीन ख0न0 277,278,279,280 सायल मीठया के खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल श्रीया ने ख0न0 277,278, 279 के रकवे में अपना रकवा शामिल होना जाहिर किया है। भू0 अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मॅगवायी गयी। मौका रिपोर्ट में ख0न0 278 रकवा 0.03 हैक्क्टर में गैर मुमकिन बाडा में मीठया पुत्र गुजरिया मीना नि0 कोटडी द्वारा 4 कमरे (पाटोर पोश 3, तथा 1 चीरी पोश) बना रखे है तथा छप्पर पोश डालकर रहायशी बना रखा है तथा ख0न0 279 रकवा 0.63 हैक्टर पर मीठया पुत्र. गुजरिया द्वारा फसल काश्त करना अंकित किया है। विवादित भूमि सायल मीठया की खातेदारी में दर्ज है तथा मीठया का कब्जा काश्त है एवं मीठया के रिहायशी मकान बने हुए है। रिकार्ड खातेदार एवं कब्जाधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । पक्षकारान के हक हकूको का निर्णय दावे में होना है ।प्रार्थना पत्र मीठया स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 90/03 मीठया बनाम श्रीया स्वीकार किया जाता है । गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0न0 277 रकवा 3 एयर, 278 रकवा 3 एयर, 279 रकवा 63 एयर, 280 रकवा 1.33 हैक्टर स्थिति ग्रम कोटडी तहसील गंगापुरसिटी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें ।

प्रार्थना पत्र 86/03 श्रीया बनाम मीठया खारिज किया जाता है।

निर्णय पृथक पृथक पत्रावलीयों में शामिल किये जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील मूल दावे के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.06.09 को सुनाया गया।

15/6/09

(प्रेमाराम परमार)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुरसिटी